अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 72/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कु० यादव वो अंचल निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पकुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/74 दाग नं0 32 रकवा 00-01-13 किस्म परती कदीम श्री मो० परमा देवी पिता नरेश रविदास के नाम से पंजी 2 में नया ... साकिन ... जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मो० परमा देवी को दिनांक 30/7/16 समय 11:10 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

ह० 29/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30.07.2016 अभिलेख उपस्थापित।

मो० परमा देवी पति नरेश रविदास उपस्थित। भूमि प्राप्त करने संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी के Rent fixation वाद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। बन्दोबस्ती प्राप्त भूमि बिक्री किया गया है या नहीं की जाँच हल्का कर्मचारी से करावें। अभिलेख दिनांक 11.8.16 को रखें।

ह० 30/7/16

sandha

हि० मो० परमा देवी

11/8/16	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। ~~उसमें~~ जो अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में Sett. Case No. 228 of 1965-66 हेतु अंचल अमीन का प्रतिवेदन है तथा अन्य कागजात अंचल अधिकारी के नामान्तरण वाद में पारित आदेश का शुद्धि पत्र है जो बंटवारा केवाला पर आधारित है। अतः दोनों कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि प्रसंगत जमीन की बंदोबस्ती हुई है या नहीं। पुनः नोटिस निर्गत कर Sett. Case में पारित आदेश प्रति मंगायें। 11/8/16
14/6/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। 14/6/19
15.7.19	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी की ओर से हाजिरी दी गई। (संलग्न)
31/7/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। आं० अ० महाराना

18.08.2021 अभिलेख उपस्थापित।
कोविड – 19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 27.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

[illegible] 18/8/2021

अंचल अधिकारी,
महागामा।

27/8/21 अभिलेख उपस्थापित।
हाजरी पत्री दी गयी [illegible] की छाया प्रति दी गई है। अभिलेख दिनांक 31/8/21 को रखें।

[illegible] 27/8/2021

अंचल अधिकारी
महागामा

31.08.2021 अभिलेख उपस्थापित।
राजस्व उपनिरीक्षक – सह– प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रश्नगत भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया।
प्रतिवेदनानुसार अवैध / संदेहास्पद पंजी • II रैयत को भूमि मौजा – बुहुआ थाना नं०-692 के गैरमजरूआ खाता नं० - 24 के अंदर

Scanned with CamScanner

दाग नं० - 32 का अंश रकबा 00-03-00 धुर, अमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश नं० - 228/1965-66 के माध्यम से गोपी हरिजन पिता - कुताय हरिजन को प्राप्त हुआ है। गोपी हरिजन को तीन पुत्र दशरथ रविदास, पदारथ रविदास एवं नरेश रविदास था। मोस्मात परमा देवी बंदोबस्तदार रैयत गोपी हरिजन की पतोहु है। अंचल अधिकारी, महागामा के म्युटेशन केश नं० - 20/2009-10 के माध्यम से मोस्मात परमा देवी पति-नरेश रविदास को भूमि प्राप्त है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर मोस्मात परमा देवी का मकानमय सहन के रूप में दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित
3/8/21
अंचल अधिकारी,
महागामा।

3/8/21
अंचल अधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.03.09 18:52:37 +05:30
Location: 192.168.134.28

Scanned with CamScanner